

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) में सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य।
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कोरबा
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	15.40 हेक्ट. वनभूमि अपेक्षित है।
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	नारंगी वन
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	—
	क. आरक्षित वन	निरंक।
	ख. संरक्षित वन	निरंक
	ग. राजस्व वन	निरंक
	घ. नारंगी वन	15.40 हेक्ट.
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मिश्रित साईट क्वालिटी — Eco Class III (3B/C2 Southern moist Mixed deciduous forests 5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest घनत्व — 0.2 से 0.3
7.	आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों की विवरण	गणना अनुसार कुल संरक्षित/राजस्व वनभूमि में विभिन्न प्रजाति के कुल 1523 वृक्ष स्थित है। (वृक्षों का गणना पत्रक प्रजातिवार संलग्न है।)
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	निरंक
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग किमी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करे।	नहीं है।
11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर	रैंकी,

	वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	चैनपुर नेवसा रतिजा सरईसिंगार अंडीकछार बम्हनीकोना
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं है।

प्रमाण -पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि/राजस्व वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : रतिजा एवं सरई
दिनांक : 23/07/2020


 श्रीमती शमा फारुकी (भा.व.से.)
 वनमंडलाधिकारी
 कटघोरा वनमंडल कटघोरा